

महाराष्ट्र भासन  
स्कूल शिक्षा पिठाग  
मंत्रालय  
पत्त्वा भवन, पोर्टल-462004

फ्रॉक एक्स 73-55/2006/20-3,  
पुस्ति,

गोपाल, दिनांक - 12-06-2006

शिक्षा,  
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
पुस्ति शिक्षा, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय संस्था महाराष्ट्र विद्या ब्रिंहिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय  
टीम्सार्ट ।

को सी. बी. एस. ई./गाइ. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
जनापनित प्राप्ति पत्र देने बाबत ।

राज्य भासन हारा अशासकीय संस्था... चाहौर्झि विद्याप्रैरिति मंत्रालय  
संस्थानीस्थानम् द्वीक्षार्थी को सी. बी. एस. ई./गाइ. सी. एस. ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
जनापनित प्राप्ति पत्र देने बाबत पर विद्या भासन हेतु-

१. प्रदेश में विद्यालय की जो संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, उनमें लाग  
प्रदेश के छात्रों संबंधित विद्या मण्डल को गिरे सभे दस हेतु  
संस्था की कार्यकारिणी में म.प. माध्यमिक विद्यालय मण्डल के  
प्रतिनिधि/अधिकारी को आमंत्रित किया जाए ।

२. विद्यालय गवर्नरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले संस्कृतिक  
एवं ऐलाकूद कार्यक्रम तथा अन्य प्राक्ष-विद्याकों की गतिविधियों द्वा  
रा लिये खेल का मैदान प्राप्ति किया जाए विद्यालय गवर्नरों द्वारा  
उत्साह उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु संस्था से पर्याप्त प्रतिनिधि  
जाए ।

३. इन विद्यालयों के विभाग में अनिवार्यताएँ की जिसके प्राप्ति होने  
पर विद्यालय हारा प्राप्तिकूद अधिकारी को दिल्ली का फैसला /  
संवेदन करने का अनिवार्य होता ।

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल रा. गृन्थ छोड़ से संम्बद्धता गिरने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संवालनान्य द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी नियमों का पालन करने का अनुच्छेद स्थान संस्था से प्राप्त किया जाएगा।
5. हेस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मालित करना अनिवार्य होगा।
6. प्रदेश के लोक आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान गोला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक प्रयोग करना प्रदान करें।
7. भारतीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रतिक्रिया तथा नियरित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जाएं। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जाएगा।
8. उत्त-प्रांतों को शालाओं में लगभग बाले पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से खरीद करने की सुविधा रहेगी। ऐसी दुकान निषेध से बंद करने की धारपता नहीं रहेगी।
9. नियम संस्थाओं में मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये नियमों के अनुसार क्रियाशील आग्रह शमन यत्रों की आमंत्रणक रूप से क्षमता दी जाए तथा इस संघर्ष में भारत लकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के लिये भी साध-समय पर जारी किये जाने वाले नियमों का पालन संस्थाओं को करना होगा।
10. हेस्था के प्रांतों को उनके नियास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस नियास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्ति एवं सैप वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। प्रांतों का लुप्ता को हृषिट से इस हेतु उपयोग नियम जाने वाले वाहनों को नियमी ऐसे अवलोकित राधन जैसे प्रेरल एवं पॉ. चॉ. आदि से संतुष्टि लेनी नीता जाएगा।

... 3 ...

11. निःशासन छात्रों के लिये, सेस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी सेस्था निःशक्त छात्रों को प्रदेश देने से आधार नहीं करेगी। इस संघीय में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध नहीं हो तो सेस्था का अनापन्ति प्रभाग प्रश्न समाप्त करने की कारबाही की जा सकती।
12. सेस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा भाष्यकारिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का रेगिस्टर नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं यूप्र प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवेदित पुस्तकों नहीं रखी जा सकती।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
लाल आदिशासन

ज्ञ. लाल आदिशासन  
लाल शर्मा

म. प्र. शासन, एकूण शिक्षा विभाग  
पुस्तकालय क्रमांक संख्या १३-५५/२००६/२०-३, मोपाल, विनायक नगर, उत्तर प्रदेश:

1. आयुक्त, लोक शिक्षण सेवा अनुसंधान, म. प्र. मोपाल।
2. विद्या शिक्षा अधिकारी, विद्या एकायन, म. प्र.
3. प्राचारी, अशासनीय शिक्षण सेस्था महोष-शिक्षा मंदिर-फूर्म नामक विषय एकायन
4. एस्सी एफ।

वी आप सभी सभी आवश्यक कानूनों द्वारा अधिकृत।

*R. Dixital*

Maharishi Vidyā Mandir

Tikamgarh (M.P.)

*Prinpal*

Maharishi Vidyā Mandir

Tikamgarh (M.P.)

२००६-०७-२००६  
म. प्र. सेवा काल

म. प्र. शासन, एकूण शिक्षा विभाग

*R. Dixital*

*Prinpal*